

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::कार्यालय आदेश::

का0आ0:-15/बि0स0से0-03-02/2014 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-157 दिनांक 19.04.2018 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापित स्नातक स्तरीय प्रथम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या-110/2010 की दिव्यांगों की संशोधित अनुशंसा (पत्रांक 934/आ0, दिनांक 23.03.2018) के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक के पद पर बैंड वेतन 9300-34800/- ग्रेड वेतन 4600/- (7वें वेतन आयोग के लेबल-7) में सशर्त औपबधिक रूप से नियुक्त निम्नांकित सहायको को उनके नाम के सामने स्तम्भ-07 में अंकित तिथि से औपबधिक योगदान स्वीकृत करते हुए स्तम्भ-08 में अंकित विभाग/संलग्न कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि	स्थायी पता	अनुक्रमांक	संशोधित मेधा क्रमांक	नियुक्ति आदेश सं0 157 दिनांक 19.04.2018 का क्रमांक	योगदान की तिथि	पदस्थापित विभाग/संलग्न कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राहुल कुमार	राहुल कुमार, पिला-श्री नागेन्द्र बिहारी सिंह ग्राम-टिल्हा धर्मशाला (पश्चिम गेट), पो0-हेड पोस्ट ऑफिस गया, थाना-सिविल लाइन्स, जिला-गया-823001	11030142	11577	15	31.08.2018	उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पूर्व में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत
2	श्री बलवत सिंह	श्री बलवत सिंह, पिता-श्री जगदीश सिंह, द्वारा-श्री राम प्रताप सिंह, हाउस नं0-95/ए, रोड नं0-07 पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना-800013	12930480	12811	19	01.08.2018	समाज कल्याण विभाग	पूर्व में आपूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत
3	श्री शंभू कुमार	श्री शंभू कुमार, पिता-श्री योगुल सिंह, मो0 नागा बिकहा (पटेल कॉलोनी), पो0+थाना+जिला-औरंगाबाद -824101	14030243	6957	5	15.10.2018	संसदीय कार्य विभाग	पूर्व में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद कार्यरत

2. उपर्युक्त सभी नवनियुक्त सहायकों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 30.11.2018 तक अपने पदस्थापन के विभाग में योगदान करें। उक्त समय सीमा के भीतर योगदान करने वाले सहायकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-07 में अंकित योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबधिक रूप से किया जायेगा। उक्त निर्धारित समय सीमा के बाद योगदान देने वाले सहायकों को पदस्थापित किये गये विभाग में योगदान की तिथि से वेतन भुगतान होगा।

3. संबंधित विभाग या कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त नवनियुक्त सहायक जो पूर्व में अन्य विभागों में अन्य पदों पर कार्यरत थे, का सेवापुस्त एवं अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी सत्यता की जाँचोपरांत संतुष्ट होकर योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी तीन माह के लिये औपबधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे और नियुक्ति पदाधिकारी से नियुक्ति-पत्र की संपुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त सहायक के वेतनादि की निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति-पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

4. संबंधित विभाग/कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त सहायकों का औपबंधिक रूप से योगदान उनसे सिविल सर्जन द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं तिलक-दहेज नहीं लेने देने से संबंधित घोषणा-पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाय तथा उक्त प्रमाण-पत्र एवं घोषणा-पत्र की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाय।

5. प्रथम वेतन-विपत्र के साथ नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित फोटोप्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति-पत्र से कर लेंगे।

6. कार्यालय प्रधान/योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि नियुक्ति पत्र की प्रकाशित राजपत्र की प्रति से भी नियुक्ति-पत्र की सत्यता की जाँच कर लेंगे।

7. नवनियुक्त कर्मियों का नयी अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी सेवा-निवृत्ति लेखा संख्या (PRAN NUMBER) अवश्य रूप से खोल लिया जाय।

8. नवनियुक्त कर्मियों का आयोग से प्राप्त अनुशंसा में तथा उनसे प्राप्त प्रमाण-पत्रों एवं पुलिस भेरिफिकेशन आदि में त्रुटि/फर्जी/गड़बड़ी भविष्य में पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। तदनुसार फलाफल से संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

9. नियुक्ति-पत्र की प्रकाशित राजपत्र की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भेजी जायेगी, जिससे कोषागार पदाधिकारी नियुक्ति-पत्र से मिलान कर संतुष्ट हो लेना चाहेंगे।

10. नवनियुक्त कर्मियों को पदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-03-02/2014 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित नवनियुक्त सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। पत्र-निर्गत की तिथि से विरमित करते हुए उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब पदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान दें।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-03-02/2014 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय परिसर, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-03-02/2014 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, संसदीय कार्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-03-02/2014 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....
प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्रांक-934 दिनांक 23.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-03-02/2014 सा0प्र0 ५९०...../पटना-15, दिनांक २४-११-१८.....
प्रतिलिपि:-आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

②
बि.स. ए. १९९१